8564
27-6-17

U.S/50-7

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /   दिनांक–

पत्र
27 JUN 2017
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), शिवहर
जिला– शिवहर

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, शिवहर के फरवरी 2009 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 313 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

30/6/17

भवदीय,

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14673 / 92   दिनांक– 31/5/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शिवहर

31/5/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
28 JUN 2017
संख्या 5860
बिहार, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सामाजिक प्रक्षेत्र–1, बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–313/17–18

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, शिवहर
2	लेखा की अवधि	02/2009 से 03/2017 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की 02/2009 से 03/2017 तक के लेखाओं के नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार शिवहर में की गई जमा सहित माह अगस्त 2013 एवं जनवरी 2016 का विस्तृत जाँच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	11.04.2017 से 20.04.2017 तक
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	1. श्री उमाशंकर पाल, जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री श्याम दत्त मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री अनिल कु0 रजक, स0ले0प0अ0 3. श्री रामजतन कुमार, व0ले0प0
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री विनोद रजक, व0ले0प0अ0
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श हुआ	हाँ (दिनांक 20.04.2017 को), आपत्तिवार प्रारंभिक जवाब उपलब्ध कराया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, शिवहर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग–II(क)– शून्य

भाग–II(ख)

कंडिका– 01

डुडा कार्यालय कोषांग का गठन नहीं, परन्तु योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग से राशि उपलब्ध कराया जानाः रू0 419.17 लाख

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं शुभारंभ हेतु संकल्प संख्या–2375 दिनांक 12.05.08 से सरकार द्वारा विषयांकित योजना का प्रारंभ किया गया है तथा संकल्प के पैरा 2.4.1 में स्पष्ट वर्णित है कि बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अभियंताओं का एक कोषांग गठित किया जायेगा जिसमें अभियंताओं की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी तथा योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण डुडा के अभियंता कोषांग द्वारा कराया जायेगा। इसी आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3113 दिनांक 17.6.08 में स्पष्ट वर्णित है कि जिला शहरी विकास अभिकरण डुडा सभी जिलों में वर्तमान में प्रायः निष्क्रिय है। कुछ जिलों में तो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित भी नहीं है। अतः जहां निबंधित नहीं है वहां तुरत निबंधित कराया जाये।

जिला योजना कार्यालय, शिवहर द्वारा उक्त योजना से संबंधित संधारित लेखा अभिलेखों एवं संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से मार्च 2017 अवधि की योजना का कार्यान्वयन जिला विकास प्रशाखा एवं जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर से करवाया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से प्रारंभ में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, शिवहर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शिवहर को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतू अग्रिम दिया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में कार्यपालक अभियंता, डुडा कार्यालय, सीतामढ़ी को प्रभार के रूप में कार्यान्वित किया गया था, परन्तु शिवहर जिला में डुडा कार्यालय का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त संकल्प में अंकित बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया एवं बिना कार्यालय कोषांग के गठन हुए विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 419.17 लाख उपलब्ध कराया गया। जो वित्तीय नियमों एवं कोषागार संहिता के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की सम्पुष्टी के संबंध में पृच्छा की गयी।

जवाब में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के संकल्प संख्या 2375 दिनांक 12.05.2008 के आलोक मे जिला पदाधिकारी शिवहर के पत्रांक 691 दिनांक 4.07.2008 द्वारा राशि जमा किया गया है। सरकार द्वारा राशि आवंटन हाने पर ही योजना का कार्यान्वयन कराया गया।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि एजेन्सी/अन्य कार्य एजेन्सी द्वारा संकल्प का पालन नहीं किया गया है। अतः इस मामले को उच्चधिकारी के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है।

कंडिका– 02

कार्यान्वयन हेतु दी गई अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्तः रू0 433.68 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 प्रावधान करता है कि सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), शिवहर कार्यालय का लेखा वर्ष 2008–09 से मार्च 2017 की अवधि का नमूना लेखा परीक्षा के कम में पाया गया कि विभाग से प्राप्त आवंटन एवं व्यय का लेखा–जोखा हेतू रोकड़ बही का संधारण जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर कार्यालय में किया गया था। किए गए व्यय से उद्‌घटित हुआ कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतू विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल ₹ 433.68 लाख अग्रिम के रूप में दी गई थी। जिसके व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित प्रमंडलों/कार्यालयों द्वारा अप्राप्त था तथा लेखा परीक्षा के कम में उपलब्ध नहीं कराया गया। विस्तृत ब्यौरा निम्न है:–

कार्यकारी एजेंसी का नाम	अवधि	राशि रू0 लाख में
कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर	2008–09 एवं 2010–11	79.66
कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत, शिवहर	2008–09, 2009–10, 2011–12 एवं 2013–14	225.14
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर	2008–09, 2010–11 एवं 2011–12	32.28
कार्यपालक अभियंता, डुडा, शिवहर	2014–15 एवं 2015–16	96.60
	योग	433.68

अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दी गई अग्रिम राशि का व्यय संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना, उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही साथ राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनुपलब्ध रहने के संबंध में पृच्छा की गयी।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से जमा किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र की मॉग की जा रही है। प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस संबंध में अविलम्व अग्रेतर कार्रवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका– 3(क)

शिवहर नगर पंचायत अंतर्गत पक्षियारी पोखर का पक्का घाट निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि – रू0 30.82 लाख

तकनीकी स्वीकृति – रू0 30.82 लाख

परिमाण विपत्र मूल्य – रू0 30.00 लाख

एकरारित राशि – रू0 30.00 (अनुसूची दर पर)

(अधी.अभि.– दि025.3.11)

एकरारनामा सं. एवं वर्ष – 03 एफ 2/11–12

संवेदक का नाम – Sri Vijay Kr Pandey

अद्यतन भुगतान – रू0 30.00 लाख, चतुर्थ एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.50 पृ.29–30,

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों व संचिकाओं की नमूना जॉच कम में निम्न अनियमिततायें पाई गईः–

(i) श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना : रू 0.30 लाख

भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 10.06.2008 के साथ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या बी.सी.डब्ल्यू.सी.–1/2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय का एक प्रतिशत वर्ष 2007–08 से निर्माण कार्य पर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कटौती कर भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना निदेशित था।

उक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच कम में पाया गया कि चतुर्थ एवं अंतिम भुगतान तक में अभिकर्त्ता/संवेदक को कुल रूप्ये 30.00 लाख भुगतान किया गया जिसमें से श्रम सेस के रूप में 1 प्रतिशत रू0 0.30 लाख की कटौती कर संबंधित बोर्ड के खाते में जमा करना था। परन्तु श्रम सेस की कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया।

श्रम सेस की कटौती नहीं करने के संबंध में पृच्छा करने पर जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि श्रम उपकर की कटौती नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) सामग्रियों पर खनन कर की कम कटौती : रू0 1033.00

सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं में उपयोग होने वाली खनन सामग्रियों पर निर्धारित दर के अनुसार खनन कर की कटौती की जानी है।

उक्त योजना में प्राक्कलन के अनुसार मापी पुस्त में कार्य की मद एवं मात्रा को अंकित किया गया था एवं प्राक्कलन राशि के अनुरूप चतुर्थ एवं अंतिम विपत्र तक में कुल रूपये 30.00 लाख का भुगतान संवेदक को किया गया था। परन्तु उक्त कार्य में प्रयुक्त खनन सामग्रियों यथा ईंट, बालू एवं स्टोन चिप्स पर निर्धारित दर से कटौती नहीं करने के कारण खनन कर के रूप में रू0 1033.00 की कम कटौती की गई

थी। परिणामतः खनन कर की पूर्ण कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की क्षति हुई। साथ ही संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया। गणना निम्न है:–

मद का नाम	मात्रा	खनन कर की दर	राशि	विपत्र सं0	काटी गई खनन कर की राशि	अंतर/ कम काटी गई खनन कर की राशि
लोकल बालू	76.73	32/घनमी0	2455.00	प्रथम	12330.00	
सोन बालू	251.59	32/घनमी0	8051.00	द्वितीय	5291.00	
स्टोन चिप्स	111.17	55/घनमी0	6114.00	तृतीय	3220.00	
ईट	238806	22/हजार	5254.00			
		योग	**21874.00**		**20841.00**	**1033.00**

(iii) गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जॉच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था क्योंकि जॉच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवता जॉच नहीं किए जाने के कारण किया गया कार्य गुणवत्तापूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः इस संबंध में अविलम्ब अग्रेत्तर कार्रवाई कर उसके फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका– 03(ख)

नगर पंचायत शिवहर के वार्ड सं0 15 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास मोड़ से जिला अतिथि गृह तक जाने वाली सड़क में पी.सी.सी. निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि – रू0 18.26 लाख

तकनीकी स्वीकृति – रू0 18.26 लाख

परिमाण विपत्र मूल्य – रू0 17.22 लाख

एकरारित राशि – रू0 17.22 (अनुसूची दर पर)

(अधी.अभि 186 दि025.1.14)

एकरारनामा सं. एवं वर्ष – 34 F 2/13–14

संवेदक का नाम – Sri Ashutosh Nandan Singh

अद्यतन भुगतान – रू0 17.22 लाख, तृतीय एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.114 पृ.14,

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों व संचिकाओं की नमूना जॉच कम में निम्न अनियमिततायें पाई गईः–

(i) विलोपित

(ii) गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जॉच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जॉच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवत्ता जॉच नहीं होना, कराए गए कार्य गुणवत्तापूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई कर उसके फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

<u>कंडिका– 03(ग)</u>

<u>वार्ड न0–01 में प्रखंड मोड़ से खैरवा दर्प जाने वाली बाल सुन्दर नाला तक मुख्य नाला निर्माण कार्य की समीक्षा</u>

योजना का नाम/कार्य का नाम	वार्ड न0–01 में प्रखंड मोड़ खैरवा दर्प जानेवाली बाल सुन्दर नाला तक मुख्य नाला निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	48,11,000/–

तकनिकी स्वीकृति	48,11,000/-
एकारारनामा राशि	46,11,652/-
एकारारनामा सं0 :-	40 F2/2013-14
संवेदक का नाम	श्री संजीव कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	01.03.2014
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/30.08.2014
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/-	15.02.2015

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई :-

1. **बिना Deviation at a site statement का अनियमित भुगतान (रू0 2.40 लाख)**

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0-27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस योजना में 10 प्रतिशत के अन्तर्गत Deviation at a site statement किया गया था। विवरण निम्न है-

क0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि /कमी (प्रतिशत में)	अंतर मात्रा	दर	राशि
1	E/w in excavation in foundation tranches in all kinds	367.87 m^3	1295.28 m^3	252.10	927.41 m^3	178.40 m^3	165450
2	Providing local sand filling in foundation	172.56 M^3	86.06 M^3	-50.12	-86.5 M^3	378.10 M^3	
3	Providing designatin 100/A B/Plate soling joints filled with local sand	1116.40 M^3	1129.33 M^3	1.158	12.93 M^3	242.70 M^3	3138
4/6	Providing 12 mm thick cement plaster in cm 1:4	2389.86 M^3	2566.66 M^3	7.40	176.8 M^3	151.90 M^3	26855
4/7	Providing and lying RCC (1:2:4) for cover slab	39.61 M^3	41.39 M^3	4.49	1.78	6593.02 M^3	11736
5/8	Providing M.S rain force cemnt in RCC	3147 Kg	3645 Kg	16.11	498 Kg	65.70	32719
							239898

Deviation का सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं कराये जाने के संबंध में पृच्छा की गयी इसके अलावा Deviation at a site statement Register की मॉग की गयी।

2. **समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू0 4.81 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है जिसमें कार्य समाप्ति के समयावृद्धि मॉग हेतु आवश्यक कारण दर्ज हो। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन (अभिकर्ता/सवेदक) संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 30.08.2014 के बाद मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग द्वारा पत्रांक –मु0अ0/यो0वि0–126/2016–324, पटना दिनांक–10.03.2017 द्वारा समयावृद्धि हेतु स्वीकृति दी गयी हे जो एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के विपरीत है। अतः कार्य विलम्ब अवधि 05 माह 15 दिन लगभग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 4811000 का 10 प्रतिशत रू0 481100 की कटौती नही कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया है।

3. गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालु बिल के बाद नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण के प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जॉच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशा निर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जॉच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। अर्थात लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवता जॉच नहीं होने के कारण कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। बिना गुणवत्ता जॉच के संवेदक को अनियमित रूप से रू0 46,11,652/– का भुगतान किए जाने के संबंध में पृच्छा की गई।

4. कार्यादेश के कम सं0 1 के अनुसार योजना स्थल पर साईड बुक संवेदक के पास रखना सुनिश्चित करना था जिससे तकनीकी प्राक्कलन का सारांश अंकित रहेगा औंर दैनिक कार्य के संबंध में निदेश आदि अंकित रहेगा। यह साईट बुक निरीक्षण करने वाले तकनीकी/प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष उनके मंतव्य हेतु अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा में साईड बुक प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. कार्यादेश के कम सं0 2 के अनुसार कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्य स्थल पर सूचना पट लगाया जाना था जिसमें योजना से संबंधित जानकारी अंकित की जानी थी तथा योजना के

प्रारंभ एवं पूरी होने की तारीख भी अंकित की जानी थी ताकि आम जनता को उसकी जानकारी दी जा सके। परन्तु संचिका में कार्य प्रारंभ से पहले सूचना पट्ट से संबंधित अभिश्रव संलग्न नहीं है।

6. कार्यादेश के कम सं0 3 के अनुसार योजना कार्यान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के मध्य में, योजना पूर्ण होने के पश्चात योजना स्थल का फोटो ग्राफी करा कर अभिलेख में लगाने का निर्देश था, परन्तु इससे संबंधित साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया ।

आपत्ति के जवाब में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्ति में दर्ज बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा का अवगत करा दिया जायेगा।

कंडिका में दर्ज आपत्तियों को विन्दुवार जवाब कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत से प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका– 03(घ)

शिवहर पिपराही राज्य पथ के पहले कि0मी0 में विनोद बाबू के दरबार के सामने पूरब की ओर जानेवाली पथ जो मो0 शब्बीर राजस्व कर्मचारी के घर होते हुए विद्या बिहार विद्यालय विनोद साईकिल स्टोर्स तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य

प्राक्कलित राशि	–	रू23.08 लाख
तकनीकी स्वीकृति	–	रू23.08 लाख
प्रशासनिक स्वीकृति	–	रू23.08 लाख
कार्यकारी ऐजेंसी	–	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–02, शिवहर
संवेदक का नाम	–	श्री संजय कुमार, शिवहर्

अलाभकारी व्यय–रू 10.00 लाख

उक्त योजना हेतु मात्र रू 10.00 लाख का आवंटन उपलब्ध था जिसका प्राक्कलन रू0 23.08 लाख का तैयार किया गया था एवं इसकी तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति दि0–25.02.12 को मिल गई थी। शेष आवंटन रू 13.08 लाख की मांग प्रथम बार दि0–25.02.12 (पत्रांक–25) को एवं दूसरी बार मांग दि0–12.05.12(पत्रांक–73) को नगर विकास एवं आवास विभाग से की गई।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–02, शिवहर को उक्त कार्य हेतु रू 10.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी। प्रमण्डल द्वारा मापी पुस्त व संचिका उपलब्ध नहीं कराई गई। किन्तु उसके रोकड़ बही से स्पष्ट है कि रू0 10.00 लाख का कार्य किया जा चुका है जिसका भुगतान भी संवेदक को किया जा चुका है। शेष कार्य आवंटन के अभाव में अपूर्ण है। इस प्रकार रू 10.00 लाख का व्यय योजना पूर्ण नहीं होने के कारण अलाभकारी रहा।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि प्राक्कलित राशि रू0 23.00 लाख के विरूद्ध रू0 10.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ शेष की मॉग की गई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण 10.00 लाख पर योजना बन्द कर दी गई।

प्राक्कलित राशि प्राप्त नहीं होने पर योजना में रू0 10.00 लाख खर्च कर योजना बीच में बंद कर दी गयी है। जवाब संतोषजनक नहीं था कि जिस उद्देश्य हेतु योजना का चयन किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार योजना पर किया गया व्यय निष्फल माना जाएगा।

<u>कंडिका– 03(ड़)</u>

<u>डॉ0 ललित सिंह के मकान से मछली मार्केट की ओर प्रोजेक्ट बालिका स्कूल होते हुए तीनबटिया राईस मील तक वार्ड नं0–14 एवं 15 में मुख्य नाला कवर स्लैव के साथ निर्माण कार्य</u>

प्राक्कलित राशि	–	रू0 36.12 लाख
तकनीकी स्वीकृति	–	रू0 36.12 लाख
परिमाण विपत्र मूल्य	–	रू0 34.74 लाख
एकरारित राशि	–	रू0 34.74लाख (अनु0दर) (अधी.अभि. दि0)
एकरारनामा सं. एवं वर्ष	–	37 एफ–02/13–14
संवेदक का नाम	–	मे0 नन्दन कन्सट्रक्सन, शिवहर्
अद्यतन भुगतान	–	रू0 34.74 लाख, पंचम एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.117पृ.36

(i) अनाधिकृत भुगतान– रू 2.28 लाख

बी0ओ0क्यु0 एवं मापी पुस्त की जॉच में पाया गया कि बी0ओ0क्यु0 की मद सं–04 में Providing and laying PCC (1:2:4) in foundation with stone chips and stone sand etc all complete job में 69.67 घनमी0 कार्य किये जाने का प्रावधान था। किन्तु मापीपुस्त के अनुसार 104.68 घनमी0 कार्य किया गया जो मूल कार्य से 54.25 प्रतिशत अधिक था

अर्थात 35.01 घनमी0 अधिक कार्य किया गया। इस अधिक कार्य के लिये पुनरिक्षित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार 35.01 घनमी0 पर रू 6520.62/घनमी0 की दर से किया गया भुगतान रू0 2,28,287 अनाधिकृत था।

(ii) अनियमित भुगतान राशि –रू 9.23 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यो में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल 9,23,106.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न है–

सामग्रियों के नाम	मात्रा	छर	राशि
Stone Chips	140.74	2647.70/M^3	372637
Bricks	148961	912/%0	135852
Sone Sand	187.55	2210.70/M^3	414617
योग			रू0 9,23,106

(iii) गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जॉच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जॉच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवता जॉच नहीं होने के कारण किया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि आपत्ति में दर्ज बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर वस्तु स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

कंडिका में दर्ज आपत्तियों का विन्दुवार जवाब कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत से प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका– 03(च)

शिवहर प्रखण्ड के उत्तर पूरब कोने से अस्पताल के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 पथ एवं नाला का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि	–	रू0 38.70 लाख
तकनीकी स्वीकृति	–	रू0 38.70 लाख
परिमाण विपत्र मूल्य	–	रू0 38.70 लाख
एकरारित राशि	–	रू0 38.70 लाख (अनु0दर) (अधी.अभि. दि0)
एकरारनामा सं. एवं वर्ष	–	30 एफ–02/10–11
संवेदक का नाम	–	श्री कौशल किशोर तिवारी, शिवहर

अद्यतन भुगतान		–रू0 35.19 लाख, चतुर्थ एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं. 48 पृ.10–11
पथ की लम्बाई	–	1135 फीट् एवं 950 फीट (PCC)
नाला की लम्बाई	–	पुरानी–1075 फीट एवं नई–700 फीट

(i) नाली पर किया गया कार्य अवमानक स्तर, व्यय राशि– रू0 12.60 लाख

प्राक्कलन में नाली के दोनों साईड में नाली की मद सं0–05 में पलास्टर का प्रावधान किया गया था, जिसमें पलास्टर 2093.73 वर्गमी0 में करना था। मापी पुस्त के अवलोकन में पाया गया कि नाले के एक ही तरफ से पलास्टर किया गया। अर्थात 2093.73 वर्गमी0 की जगह मात्र 1187.94 वर्गमी0 पर ही प्लास्टर किया गया। जबकि नाला लगभग पूरी लम्बाई में बनाया गया।

नाले के एक ओर प्लास्टर नहीं करने से नाले का कार्य अवमानक स्तर का रहा, जिस पर रू 12,60,046 का व्यय किया गया।

(ii) सड़क किनारे ईट सोलिंग नहीं करना

प्राक्कलन में मद सं0–04 में 1135 फीट सड़क के दाई किनारे, 810 फीट सड़क के बाई किनारे एवं 950 फीट सड़क के दोनों ओर ईट सोलिंग कार्य का प्रावधान था। जिससे सड़क की सुरक्षा एवं आवागमन की सुगमता बनी रहे। मापी पुस्त में पाया गया कि इस मद में कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे सड़क की सुरक्षा एवं लोगों की सुगमता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

(iii) अनियमित भुगतान राशि –रू 15.73 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 1573166.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न है–

सामग्रियों के नाम	मात्रा	दर	राशि
Stone AggregatesIII	149.45	2289.30/M^3	342135
Stone Chips	328.85	2289.30/M^3	752836
Moorum	23.54	1892.73/M^3	44555
Sone Sand	229.3	1891.15/M^3	433640
योग			1573166

इस संबंध में पृच्छा की गयी।

(iv) श्रम उपकर की कटौती नही कर अदेय सहायता पहुंचाया जाना– रु 0.35 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं. 4/एफ–302/2006 श्र.नि.–865 दिनांक–18.08.2008 द्वारा लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत राशि श्रम उपकर के रुप में विपत्रों से कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित करने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण, बिहार पटना के पत्रांक– मु.नि.(पथ)– 38(अनु.) पटना दिनांक 13.05.2010 के अनुसार सभी सरकारी विभागों में कराये जाने वाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रत्येक मद में 1 प्रतिशत की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिये करते हुए विश्लेषण करना है।

परन्तु इस योजना में कुल व्यय रू0 35,19,154.00 किया गया, जिससे 1 प्रतिशत की कटौती की जानी थी। इस प्रकार कुल रु 5,191/– की कटौती श्रम उपकर के रूप में नहीं कर अभिकर्त्ता को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के संबंध में पृच्छा की गयी।

(v) गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जॉच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था क्योंकि जॉच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी स्तर पर गुणवता जॉच नहीं होने के कारण किया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है। गुणवत्ता जॉच नहीं कराये जाने के संबंध में पृच्छा की गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि अंकित बिन्दुओं में उठाये गये आपत्ति के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

कंडिका में दर्ज आपत्तियों का विन्दुबार जवाब कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत से प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका 04

परिमाण विपत्र (BOQ) की बिक्री से प्राप्त राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू0 0.73 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 के अनुसार सरकार की प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), शिवहर के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की विक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, शिवहर में बी0ओ0क्यू0 के लिए संधारित बैंक खाता में जमा किया गया था। यह पाया गया कि इस खाते में मार्च 2014 से 15.01.2016 तक रू0 73200 जमा थी। इस प्रकार सरकारी राजस्व को लगभग 3 साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया। जो उपरोक्त नियमो के विपरीत है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि बी.ओ.क्यू से प्राप्त राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

(i) चार्टड एकाउन्टेंट/विशेषज्ञ से संधारित अभिलेखों की जॉच नहीं किया जाना

इस योजना के संकल्प में पैरा संख्या–2.7.1 में स्पष्ट वर्णित है कि प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण हेतू विशेषज्ञ/चार्टड एकाउन्टेंट की सेवायें जिला शहरी विकास अभिकरण को उपलब्ध कराना था। उनके द्वारा प्रत्येक कार्य से संबंधित अभिलेखों की जॉच एवं उनका विधिवत संधारण करेंगे।

नमूना जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से अधतन अवधि का लेखा संधारण का जॉच किसी विशेषज्ञ/चार्टड एकाउन्टेंट से नहीं कराया गया था। जैसा कि रोकड़ बही से स्पष्ट होता है। जो उक्त संकल्प के विपरीत है।

किन कारणों से चार्टड एकाउन्टेंट से लेखा संधारण की जॉच नहीं की गई, इस संबंध में पृच्छा करने पर जवाब में बताया गया कि उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सी.ए. से ऑडिट करा लिया जायेगा। इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका 05

अंतशेष के रूप में राशि अवरूद्व पड़ा रहना: रू0 16.47 लाख

बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से निकासी तभी की जानी चाहिए, जब तत्काल व्यय की आवश्यकता हो एवं विभिन्न योजना मद में BD/Cheque के माध्यम से प्राप्त राशि, यदि

तत्काल व्यय की आवश्यकता न हो, उसे उस वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित विभाग/शीर्ष में वापस कर देना है।

जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर कार्यालय द्वारा संधारित वर्ष फरवरी 2009 से मार्च 2017 एवं कार्यपालक अभियंता, डुडा कार्यालय, शिवहर का जिला शहरी विकास योजनांतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय से संबंधित रोकड़ बही के नमूना लेखा परीक्षा के जाँच में पाया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में योजना मद में व्ययोपरान्त अंतशेष के रूप में राशि विभिन्न बैंकों के बचत खातों में अवरूद्ध पड़े थे, वे निम्न हैं–

तिथि	अंतशेष राशि (रू0लाख में)		कुल राशि
	जिला योजना पदा0 कार्यालय	डुडा कार्यालय	
31.3.2017	691439.00	955736.00	1647175.00

उपरोक्त राशि को प्रतिवर्ष अंतशेष के रूप में दिखाई जा रही है, जो उक्त नियमों के प्रतिकूल है। यद्यपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5703 दिनांक 19.11.15 द्वारा भी अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने हेतू आदेश निर्गत किया गया था। वर्तमान में डुडा कार्यालय द्वारा भी नये योजनाओं पर कार्यान्वयन करना बंद कर दिया गया है। फिर भी अव्यवहृत राशि रोकड़ बही में अधतन अवरूद्व पड़ा है।

आपत्ति के जबाव में बताया गया कि –

1. जिला योजना शिवहर में अवशेष राशि रू0 694139/– सूद की राशि है कनीय अभियन्ता डुडा जो संविदा के आधार पर नियुक्त है का वेतन भुगतान करना है अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर भुगतान किया जाना है। शीघ्र निष्पादित कर राशि कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।
2. शेष राशि कार्यकरी एजेन्सी से पत्राचार कर शीघ्र कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका 06

राशि सीतामढ़ी कोषागार में जमा किया जाना रू0 308126

जिला शहरी विकास अभिकरण, शिवहर में रोकड़बही एवं प्रेषण पंजी की जॉच के कम में पाया गया कि राशि शिवहर कोषागार में नहीं जमा करते हुए सीतामढ़ी कोषागार में रू0 308126 जमा कर दिया गया है। विवरणी निम्नवत है–

क्रमांक	शीर्ष/मद	रोकड़ बही पृष्ठ सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	0040/सेल टैक्स	17	0106	22.06.15	28524
2	0040/सेल टैक्स	18	0109	10.07.15	24439
3	0040/सेल टैक्स	19	0113	22.07.15	1648
4	0040/सेल टैक्स	21	0119	06.08.15	24517
5	0040/सेल टैक्स	22	0121	11.08.15	24699
6	0040/सेल टैक्स	29	0004	16.01.16	36542
7	0040/सेल टैक्स	30	0007	26.02.16	48854
8	0040/सेल टैक्स	32	0012	19.03.16	24547
9	0040/सेल टैक्स	36	0018	24.05.16	66954
10	0040/सेल टैक्स	36	0019	26.05.16	27402
					308126

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि शिवहर डुडा कार्यालय की राशि को सीतामढ़ी कोषागार में जमा करने से संबंधित आपत्ति के लिए चालान का मिलान कोषागार से कराकर लेखापरीक्षाा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका 07
अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

जिला शहरी विकास अभिकरण, शिवहर द्वारा निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिके कारण उसकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

1. बगमती प्रमंडल द्वारा किए गए कार्य का योजना अभिलेाा एवं अन्य अभिलेख।
2. अंचल अधिकारी शिवहर द्वारा किए गए कार्य का योजना अभिलेख एवं अन्य अभिलेख।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा अभिलेख लेखापरीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया था लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया।

—हस्ता0—
(विनोद रजक)
व0ले0प0अ0
—अनुमोदित—
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)